भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

25.03.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2710 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों का वर्गीकरण

2710. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर रेलवे के अंतर्गत दिल्ली/एनसीआर अभी भी गैर-उपनगरीय श्रेणी में हैं;

(ख) क्या सरकार लोकल ट्रेन के लिए अलग-अलग किराए अर्थात् 2/- रूपये, 5/- रूपये और 10/- रूपये, शुरू करके भारत के नागरिकों के बीच मतभेद पैदा कर रही है;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली/एनसीआर को उपनगरीय के रूप में कब तक अद्यतन किया जाएगा और रेलवे राजस्व को लगातार नुकसान पहुंचाने और स्थानीय यात्रियों को सस्ते और सर्वोत्तम यात्रा लाभों से वंचित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार कोलकाता, मुबई और चेन्नई के समान उपनगरीय रेल सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): जी हां। उत्तर रेलवे के तहत दिल्ली/एनसीआर अनुपनगरीय श्रेणी है।

(ख): जी नहीं। उपनगरीय सेक्टर में साधारण लोकल/पैसेंजर गाड़ी सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यूनतम प्रभार्य योग्य मूल किराया 5 रु. है और अनुपनगरीय सेक्टर के लिए 10 रु. है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

******